

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 228/2014 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2011/00058)


## अनवान:

1. लक्ष्मी बाई बेवा श्री फतेह सिंह अकवाम राय सिंह साकिन 25 एसजेएम तहसील अनूपगढ वगैरह।

## बनाम

2. स्टेट ऑफ राजस्थान।
3. रामस्वरूप पुत्र श्री भूराराम बिश्नोई साकिन निवासी 10 जी बी हाल चक 11 के एन डी ए तहसील घड़साना वगैरह।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांट्स को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट्स स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को सुनाया गया।

  
(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर

